Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 6, October-2021, ISSN 2230-7540

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधान: एक अध्ययन

Sachchidanand Pathak*

Assistant Professor, (B.Ed. Department) Magadha College of Education, Gaya (Bihar)

सारांशिका – *शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए केंद्र सकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। लगभग तीन दशक के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूर्व देश में मुख्य रूप से दो ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1968 में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह कोठारी कमीशन (1964-1986) की सिफारिशों पर आधारित थी। इस नीति को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इसका मुख्य उद्येश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मुहैया कराना था। बाद के वर्षों में देश की शिक्षा नीति की समीक्षा की गई। वहीं देश की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मई 1986 में मंजूर की गई। जिसे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार लेकर आई थी। इसमें कम्प्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जुटाने पर जोर दिया गया। वहीं इस नीति को 1992 में पीवी नरसिंह राव ने संशोधित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उद्देश्य शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्वों जैसे मुद्यों पर विशेष ध्यान देना है। छात्रों को जरूरी कौशल एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इन्डस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप स्थापित करना है। प्रस्तुत अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधानों का अध्ययन करता है। आलेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य और उसके मूलभूत सिद्धांत को रेखांकित करता है।*

कुंजी शब्द – *गुणवत्तापूर्ण, अकादमिक क्षेत्र*

----------X----------

शोध आलेख की पद्धति और तथ्यों का संकलन:

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। तथ्यों का संकलन प्राथमिक और द्वितीयक स्त्रोत से किया गया है। संबंधित तथ्य एवं प्राप्त सूचनाएँ पूर्णतः प्रामाणिक है। भारत सरकार के महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दस्तावेज, प्रमुख समितियों की रिपोर्ट, प्रासंगिक आलेख और संदर्भित ग्रन्थ इत्यादि से संकलित सूचनाएँ इस आलेख की प्रामाणिकता को पुष्ट करता है। अतएव प्रस्तुत शोध आलेख में विषय से संबंधित अध्ययन और उससे प्राप्त निष्कर्ष ज्ञान की अभिवृद्धि में सर्वथा उपयोगी है।

विश्लेषण:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में देश के सभी नागरिकों को शिक्षा उपलबध कराने पर मुख्य जोर था। इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ ही विदेश भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया। तीन भाषा का फार्मूला पेश किया जाना चाहिए, जिसमें माध्यमिक स्तर पर एक छात्र को हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही अपने क्षेत्र की भाषा को जानना चाहिए। देश के प्रत्येक बच्चे को चाहे उसकी जाति, धर्म या क्षेत्र कुछ भी हो शिक्षा प्राप्ति का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा सुविधाओं को लाभ उठाने के लिए पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, लड़कियों और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों पर विशेष जोर दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आधुनिकीकरण पर केंद्रित रही। जिसमें शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी शिक्षा मुहैया कराने पर जोर दिया गया। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने पर रोक लगाने पर जोर दिया गया और कहा गया कि देश में गैर औपचारिक शिक्षा के नेटवर्क को पेश किया जाना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। संस्थानों को आधारभूत संरचना जैसे कम्प्यूटर, पुस्तकालय जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों के लिए आवास विशेष रूप से छात्राओं को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के मध्य

www.ignited.in

अशिक्षा की दर को कम करने के लिए उनकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उहें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख पद्म विभूषण डॉ0 के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया गया। कस्तूरीरंगन समिति के नाम से इसका गठन जून, 2017 में किया गया तथा मई, 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप' कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई, 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा इसे मंजूरी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्धेश्य शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्वों जैसे मुद्यों पर विशेष ध्यान देना है। छात्रों को जरूरी कौशल एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इन्डस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करना है। शिक्षा नीति में छात्रों में रचख्नात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21 वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमतओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्वांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमतओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व-स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊँचे प्रतिमान स्थापित किये थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, शंाकरदेव, मैत्रयी, गार्गी जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान-निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किये। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नये-नये उपयोग भी सोचे जाने चाहिए।

नई शिक्षा नीति ने भारत की समृद्ध विविधता ओर संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए नई बातों का समावेश किया गया है। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहॉ की अद्वितीय कला, भाषण और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्म विश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग औ एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊँचाईयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अतिआवश्यक है। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्यों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में संशोष्धित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांत:

हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनरके विकास हेतु प्रयास करना- शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दे। बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्याज्ञान जैसे सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रूचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि

www.ignited.in

के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान के क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊँच-नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके;

सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास, बहु-भाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानूभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना।

महिला शिक्षा पर विशेष प्रावधान - नई शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ प्रावधान किये गए हैं जिसमें जेन्डर समावेशी कोष की स्थापना एक नया और क्रांतिकारी कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा के नीतिगत प्रावधान महिलाओं की शिक्षा में भागेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूह की एक समान सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर देती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्हें अनेक श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों को लिंग (महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति), सामाजिक- सांस्कृतिक पहचान (अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग), भौगोलिक पहचान, विशेष आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विद्यालयी शिक्षा:

यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली विद्यालयी व्यवस्था को उसे 18 वर्ष के सभी बच्चो के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात की है। 5+3+3+4 ढ़ांचे में 3 वर्ष के बच्चो को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो।

10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली अपनाई जाएगी जो निम्न्वत है-

नया प्रारूप	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5	फाउण्डेशन	3 से 6 वर्ष	ऑगनबाड़ी
	फाडण्डेशन	6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राइमरी)
3	प्राथमिक शिक्षा	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3	मध्यम स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4	अंतिम स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति:

यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते है। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जानेवाली भाषा है। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी -कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक तथा निजी दोनो तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं/मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने केलिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा/मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच को उपयोग करने के लिए प्राप्तसाहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा, एक भाषा को अच्दी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नही है।

विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाः

विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिद्धान्त समान होंगे; राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में हर साल कम से कम दो बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा लेने का काम करेगी। इन परीक्षाओं में अवधारणात्मक समझ और ज्ञान को लागू करने

www.ignited.in

की क्षमता की जॉच की जाएगी, और इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकताओं को समाप्त करने पर जोर रहेगा। विद्यार्थी उन विषयों का चुनाव कर पाएंगे जिनमें वे परीक्षा देने की रूचि रखते हैं, और प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत विषय पोर्टफोलियों को देख पाएगा और विद्यार्थियों की रूचि और प्रतिभा के मुताबिक उन्हें अपने कार्यक्रमों में प्रवेश दे पाएंगे। एनटीए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट में दाखिले और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख विशेषज्ञ स्वायत्त टेस्टिंग ऐजेंसी के रूप में काम करेगा। एनटीए टेस्टिंग सेवाओं के उच्चतर गुणवत्ता, रेज और लचीलापन से अधिकांश विश्वविद्यालय इन सामान्य प्रवेश परीक्षाओं का उपयोग करने में सक्षम होगे बजाय इसके कि सैकड़ों विश्वविद्यालय अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाएं तैयार करें इसके चलते विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर बोझ काफी कम किया जा सकेगा।

उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान:

उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कारिक और मानवीय राष्ट्र जहॉ सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव हो, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्धेश्य के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक, सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा। सामाजिक स्तर पर, उच्चतर शिक्षा का उद्धेश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके, और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूँढ़कर लागू कर सके। उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए उच्चतर शिक्षा का उद्धेश्य व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन करना ही नहीं बल्कि अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुड़े हुए सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है।

यह शिक्षा नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उनकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करती है। छात्र हितों और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए स्कूलों में करियर परामर्श, उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन जो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा दें, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बहु-विषयी और समग्र शिक्षा पर बल, स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। भारत उच्च शिक्षा आयोग को सम्पूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जायेगा। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्धेश्य अपने आपको बहु-विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटो को जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसते तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमण-पत्र प्रदान किया जाएगा। इसमें 1 वर्ष बाद प्रामाणपत्र, 2 वर्षों बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।

शिक्षा का अधिकार का विस्तार और त्रिभाषायी फार्मूला: इस नीति में शिक्षा का अधिकार का विस्तार किया गया है। पहले 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। इस शिक्षा नीति में अब यह अधिकार 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा में त्रि-भाषायी फॉर्मूला का प्रावधान किया गया है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। साथ ही जहॉ कहीं भी यदि संभव हो तो त्रि-भाषायी फॉर्मूला को कक्षा 8 तक अपनाने का भी प्रविधान है। संस्कृत भाषा के साथ-साथ तमिल, तेलगू, कन्नड़ जैसे भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है।

निष्कर्षः

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहॉ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहॉ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहॉ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढ़ांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध है। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि, साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर

www.ignited.in

स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और सांविधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

संदर्भ:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. पंजाब केसरी, 30 जुलाई 2020
3. कोठारी आयोग की रिपोर्ट; 29, जून 1986
4. नई शिक्षा नीति, नवभारत टाइम्स; 31, जुलाई 2020
5. मुदालियर आयोग (माध्यमिक शिक्षा आयोग) 1952 की रिपोर्ट
6. Hindustan Times; 8, August 2020
7. National education Policies 2020- AReview; webinar Report, Jain University, Bangalore.
8. National Education Policy 2020: A Paradigm Shift; webinar report, IIM Ranchi, 18 September 2020.
9. Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieveing its objectives; Sreeramana Aithal & Shubhrajyotsna Aithal; Research gate.net, August 2020.

Corresponding Author

Sachchidanand Pathak*

Assistant Professor, (B.Ed. Department) Magadha College of Education, Gaya (Bihar)